महत्वपूर्ण समीक्षात्मक

पत्रांक— एस0एस0—बड़े करदाता/संग्रह समीक्षा/2020—21/ २०४ /वाणिज्य कर

कार्यालय:कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊ:दिनांक: १९ अगस्त, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

इस कार्यालय के पत्र सं0 एसएस—बिग डीलर—वस्तुवार माड्यूल/195 दि0 13.08.2020 के द्वारा **VAT MIS** के अन्तर्गत **GSTIN TAB** में बनाए गए विभिन्न 6 एमआईएस रिपोर्ट लक्ष्य के सापेक्ष जीएसटी संग्रह, तुलनात्मक संग्रह, एसजीएसटी व आईजीएसटी का अलग—अलग संग्रह वस्तुवार संग्रह एवं बड़े करदातों के संग्रह सूचित किये गये हैं। जीएसटीआईएन टैब में जीएसटी कलैक्शन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए उक्त एमआईएस का खण्डवार व डीलरवार समीक्षा में उपयोग करते हुए जमा नहीं किये गये देय कर को जमा कराने का हर सम्भव प्रयास किया जाए। इन एमआईएस रिपोर्ट की उपयोगिता या इसको और बेहतर बनाए जाने पर सुझाव सदैव स्वीकार होंगे।

2— इस संबंध में मुख्यतः यह अवगत कराना है कि **Big Dealer GST Collection Report** में जोन के अधिकतम सभी वस्तु के या अलग—अलग वस्तु के 1000 बड़े डीलर का तीन वर्ष का तुलनात्मक राजस्व विवरण एक साथ उपलब्ध हैं। मुख्यालय पर उक्त एमआईएस से प्रत्येक जोन के वर्ष 2019—20 के जमा राजस्व संग्रह के आधार पर 1000 बड़े डीलर का माह जुलाई तक तुलनात्मक राजस्व विवरण की सॉर्टिंग की गयी जिसमें पाया गया कि **कतिपय डीलर के द्वारा वर्ष 2020—21 के विगत 4 माह का जमा कर शून्य है या ऋणात्मक है, कतिपय जोन में यह संख्या 100 से अधिक है।** संबंधित डीलर जोन के प्रथम 1000 के अन्तर्गत होने से गत वर्ष के संगत अवधि तक काफी राजस्व जमा किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रत्येक जोन की शून्य व ऋणात्मक कर के डीलर्स की सूची एडीशनल कमिश्नर के एनआईसी के ई—मेल पर परीक्षण हेतु इस कार्यालय से उपलब्ध करा दी गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि कृपया ऐसे डीलर्स के द्वारा रिटर्न दाखिल न किये जाने या शून्य दाखिल किये जाने का परीक्षण किया जाए, आवश्यकतानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर से वार्ता कर ली जाए और तदनुसार विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। मासान्त दिनांक 28.08.2020 तक राजस्वपरक परिणामों से इस कार्यालय को अवश्य सूचित किया जाए।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।